प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति – नाण्डी–सैलसेण–मठूरगॉव मोटर मार्ग।

(i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र– उत्तराखण्ड

(ii) जिला –टिहरी

(iii) जिला वन प्रभाग –नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि की रेती

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र–0.8225है0

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः **आरक्षित वन भूमि,सिविल सोयम भूमि** [0.7175+0.1050]

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः संलग्न है।

(i) वन का प्रकार –**मिश्रित वन**

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व –~~0.20~~0.40

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना– **संलग्न है।**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा– संलग्न है।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी– **संलग्न है।**

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : **संलग्न है।**

21. वन्य जीव की दृश्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : **संलग्न है।**

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : **लागू नही है।**

(ii) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) **लागू नही है।**

(iii) क्या किसी राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) **लागू नही है।**

(iv) क्या राश्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) **लागू नही है।**

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे **लागू नही है।**

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) **नही है।**

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : **लागू नही है।**

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **हॉ।**

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। **लागू नही है।**

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्षक सिद्धांतों क अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) **लागू नही है।**

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के, विरुद्ध की गई कार्यवाही **-लागू नही है।**

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) **नही**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। **सिविल भूमि।**

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। **संलग्न है।**

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं **-संलग्न है।**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। **हॉ।**

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **रू0**

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृश्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। **नही**

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। **हॉ।**

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशों **-वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।**

वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

स्थान: मुनिकीरेती

तारीख: 21/01/15

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

मुनि की-रेती

प्रारुप–15

परियोजना विवरण :– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी–सैलसेण–मठूरगॉव मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई–2.00 किमी0)

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती	डांगचौरा राजि	सेल	1025.00	7.00	0.7175

कनिष्ठ अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

सहायक अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

अधिशासी अभियंता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
(मुख्यालयः कीर्तिनगर)

वन क्षेत्राधिकारी
रेंज डांगचौरा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेन्द्रनगर
मुनिकीरेती वन विभाग